

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत- मनेर एवं मुरलीगंज।

पटना, दिनांक- ०९/०१/१९

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण की कुल ₹126.00700 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख सात सौ रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹63.00350 लाख (तिरसठ लाख तीन सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹126.00700 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख सात सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल विभागीय राज्यादेश सं०-110 दिनांक- ०९/०१/१९ के आलोक में कुल ₹63.00350 लाख (तिरसठ लाख तीन सौ पचास रु०) मात्र नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत, मनेर	वार्ड नं०- 18 में एन०एच०- 30 पर दक्षिण में देवी मंदिर से नलकुप सं०- 45 होते हुए राम बच्चन राय के घर होते हुए जयनन्दन राय के घर होते हुए महिनावॉ पूरवी आहर तक आर०सी०सी० नाला एवं कभर स्लैब निर्माण कार्य।	41.51000	20.75500	20.75500
2	नगर पंचायत, मुरलीगंज	वार्ड नं०- 10 में बजरंग बली मंदिर से कला भवन से मुकेश सिंह के घर तक नाला निर्माण कार्य।	42.05000	21.02500	21.02500
3	नगर पंचायत, मुरलीगंज	वार्ड नं०- 09 में पेट्रॉल पम्प से मिडिल चौक तक दुर्गा मंदिर होकर नाला निर्माण कार्य।	42.44700	21.22350	21.22350
कुल योग			126.00700	63.00350	63.00350

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹63.00350 लाख (तिरसठ लाख तीन सौ पचास रु०) मात्र।

2. आवंटित कुल ₹63.00350 लाख (तिरसठ लाख तीन सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनेर एवं मुरलीगंज होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-

CA

17.04.98 एवं पत्रांक— 354, दिनांक—28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम— 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०— 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— 1496, दिनांक— 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०— 573, दिनांक— 16.01.1975 एवं एम 04—15/2009—9736, दिनांक— 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. आवंटित राशि ₹63.00350 लाख (तिरसठ लाख तीन सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या— 48 बजट शीर्ष— 2215—जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष— 02—मल—जल तथा सफाई, लघुशीर्ष— 193—नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष— 0102—नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड— 48-2215021930102, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान—परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 7355 वि(2), दिनांक— 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:—

(i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय—समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।


(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना एवं मधेपुरा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,



सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क०-09-04/2018 65 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-09/01/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना एवं मधेपुरा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- ०९/०१/१९

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण की कुल ₹126.00700 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख सात सौ रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹63.00350 लाख (तिरसठ लाख तीन सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹126.00700 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख सात सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹63.00350 लाख (तिरसठ लाख तीन सौ पचास रु०) मात्र की स्वीकृति नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत, मनेर	वार्ड नं०- 18 में एन०एच०- 30 पर दक्षिण में देवी मंदिर से नलकुप सं०- 45 होते हुए राम बच्चन राय के घर होते हुए जयनन्दन राय के घर होते हुए महिनावीं पूरवी आहर तक आर०सी०सी० नाला एवं कभर स्लैब निर्माण कार्य।	41.51000	20.75500	20.75500
2	नगर पंचायत, मुरलीगंज	वार्ड नं०- 10 में बजरंग बली मंदिर से कला भवन से मुकेश सिंह के घर तक नाला निर्माण कार्य।	42.05000	21.02500	21.02500
3		वार्ड नं०- 09 में पेट्रॉल पम्प से मिडिल चौक तक दुर्गा मंदिर होकर नाला निर्माण कार्य।	42.44700	21.22350	21.22350
कुल योग			126.00700	63.00350	63.00350

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹63.00350 लाख (तिरसठ लाख तीन सौ पचास रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

५

2. स्वीकृत कुल ₹63.00350 लाख (तिरसठ लाख तीन सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनेर एवं मुरलीगंज होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक-28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. स्वीकृत राशि ₹63.00350 लाख (तिरसठ लाख तीन सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215021930102, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

✓

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण—लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/सड़क०-09-04/2018 के पृष्ठ सं०-47/टि० पर दिनांक-08-01-2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-47/टि० पर दिनांक-08-01-2019 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना एवं मधेपुरा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनेर एवं मुरलीगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश

09.01.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क०-09-04/2018 110 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-09/01/19

प्रतिलिपि:— संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना एवं मधेपुरा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनेर एवं मुरलीगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.01.19

सरकार के विशेष सचिव।